भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1596

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की स्थिति

1596. श्री वरुण चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीसी) के तहत आवंटित और उपयोग किया गया बजट वर्ष-वार कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी है; और

(ग) लाभ के वितरण में देरी के क्या कारण हैं और शीघ्र वितरण के लिए क्या कार्रवाई, यदि कोई हो, की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) और जारी की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) एनएफबीएस के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी सीमा के अधीन वित्तीय सहायता जारी की जाती है। जैसे ही पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, निधि जारी करने के लिए उन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है। पत्रों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वर्ष 2026-27 से, एनएफबीएस के अंतर्गत निधि 'एसएनए-स्पर्श' तंत्र के माध्यम से जारी की जा रही है। इस तंत्र के तहत, राज्य/ विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र, 'एसएनए-स्पर्श' पर ऑनबोर्डिंग के बाद, मंत्रालय द्वारा जारी मूल स्वीकृति में से निधि का उपयोग करते हैं। तदनुसार, वर्ष 2026-27 की पहली किश्त के लिए, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफबीएस के तहत ₹369.25 करोड़ की मूल स्वीकृति जारी की गई है।

जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'एसएनए-स्पर्श' पर ऑनबोर्डिंग पूरी कर चुके हैं, वे एनएफबीएस के तहत लाभ के संवितरण के लिए मूल स्वीकृति का उपयोग करने में सक्षम हैं। मंत्रालय ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन कर रहा है और 'एसएनए-स्पर्श' पर उनकी शीघ्र ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

अनुबंध

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की स्थिति के संबंध में लोकसभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच सालों में एनएफबीएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) और जारी निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (रु करोड़ में)					राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा (संख्या में)
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	आंध्र प्रदेश	16.85	22.47	28.08	22.47	22.47	10906
2	बिहार	0.00	0.00	36.93	27.22	28.47	35859
3	छत्तीसगढ़	11.68	27.00	0.00	23.47	11.87	12801
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225
5	गुजरात	11.13	16.52	16.52	16.52	10.85	10695
6	हरियाणा	0.00	17.13	0.00	10.70	8.36	4154
7	हिमाचल प्रदेश	0.70	1.06	2.47	0.00	2.82	684
8	झारखंड	11.89	30.03	0.00	2.60	7.29	14148
9	कर्नाटक	18.86	27.73	0.00	0.00	47.15	18312
10	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4358
11	मध्य प्रदेश	31.75	57.09	8.90	14.12	15.88	30826
12	महाराष्ट्र	34.91	21.97	0.00	0.00	0.00	34987
13	ओडिशा	16.30	38.63	52.48	31.64	49.85	24697
14	पंजाब	0.51	0.00	1.38	0.62	0.00	2673
15	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12347
16	तमिलनाडु	0.00	19.00	9.34	8.17	12.06	18445
17	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7794
18	उत्तर प्रदेश	150.53	150.53	112.90	164.24	112.90	73075
19	उत्तराखंड	0.00	0.00	1.42	1.77	0.00	4808
20	पश्चिम बंगाल	27.10	25.91	62.89	44.40	44.40	21553

21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346
22	असम	0.00	0.00	0.00	21.93	0.00	8524
23	मणिपुर	0.34	1.72	1.03	0.16	1.56	669
24	मेघालय	0.80	0.00	0.00	0.00	0.40	781
25	मिजोरम	0.20	0.41	0.30	0.61	0.30	197
26	नागालैंड	0.83	1.10	0.83	1.38	1.38	535
27	सिक्किम	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	175
28	त्रिपुरा	1.01	0.00	1.01	0.51	1.01	984
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119
32	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3.51	0.00	0.00	1.17	1.13	2270
33	जम्मू एवं कश्मीर	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	323
34	लद्दाख	0.00	0.37	0.00	0.52	0.00	112
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283
	कुल योग	**339.25**	**458.88**	**336.48**	**394.19**	**380.14**	**358840**